

झारखंड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

पत्र संख्या-वा0 कर/GST/11/2017 328 (अनु०) रांची दिनांक- 2/2/18

प्रेषक,

अजय कुमार सिन्हा,
राज्य कर अपर आयुक्त।

सेवा में,

सभी राज्य-कर संयुक्त आयुक्त(प्र०)।
सभी वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी।

विषय- अंतर्राज्य एवं राज्यान्तर्गत E-way Bill प्रणाली को तत्काल स्थगित करने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक जी० एस० टी० काउन्सिल से प्राप्त E-mail दिनांक 01.02.2018 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि प्रारंभिक दौर में Online E-way Bill के निर्गमन में कठिनाई एवं तकनीकी समस्या उत्पन्न होने के कारण झारखण्ड राज्य में अंतर्राज्य एवं राज्यान्तर्गत E-way Bill निर्गमन की अनिवार्यता एवं जाँच को तत्काल अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।

निदेश दिया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार में अवस्थित Federation, Bar Association, Chamber of Commerce, Trade Association, Transporters and Stakeholders इत्यादि को अपने स्तर से सूचित करेंगे।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन



राज्य-कर अपर आयुक्त।

31/1/18